

राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप-6)विभाग

क्रमांक-प० ९(३०)राज./६/२००५/१

जयपुर,दिनांक:-०४.०१.२००६

१. संभागीय आयुक्त,उदयपुर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर।

२. जिला कलेक्टर,उदयपुर,बांसवाडा,झूगरपुर,
सिरोही,बारां,चित्तौडगढ़, जैसलमेर,बीकानेर,हनुमानगढ़,श्रीगंगानगर।

::परिपत्र::

विषय:-टीएसपी एवं सहरिया क्षेत्रों में विशेष अभियान के संबंध में।

राजसरकार द्वारा उदयपुर, बांसवाडा, झूगरपुर, सिरोही, बारां एवं चित्तौडगढ़ जिलों में टीएसपी एवं सहरिया क्षेत्रों में तथा जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों में (उपनिवेशान क्षेत्रों को छोड़कर) राजस्व भूमियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु दिनांक २३.०१.२००६ से २८.०२.०६ तक विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किये जायेंगे तथा प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शनिवार तक नियमित रूप से छः दिन कार्य किया जावेगा। भूमि आवंटन/नियमन संबंधी कार्यों हेतु भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक उसी पंचायत मुख्यालय पर आयोजित की जावेगी। यहाँ शिविर स्थल होगा तथा आवंटन योग्य भूमि उसी पंचायत के गांव में स्थित होगी। इसका कार्यक्रम शिविर प्रभारी द्वारा जारी किया जावेगा। क्योंकि यह अभियान जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाकर जनता को लाभ पहुंचाया जायेगा।

टीएसपी एवं सहरिया क्षेत्रों में विशेष अभियान में राजस्व विभाग से संबंधित जिन्दुओं के संबंध में जिला कलेक्टर, संबंधित अधिकारियों की टीम का गठन करेंगे तथा जिला कलेक्टर एवं जन समस्याओं के समाधान के लिये मौके पर कुशल नेतृत्व प्रदान करेंगे, जिससे जनसमस्याओं का गुणात्मक रूप से हल किया जाकर जनता को लाभान्वित किया जा सके।

शिविरों की पूर्व तैयारी:-अभियान क्षेत्रों में लगने वाले शिविरों की पूर्व तैयारी की जाएगी। जिला कलेक्टर द्वारा राजस्व अधिकारियों की शिविर आयोजन करने से पूर्व एक मैत्री आयोजित की जावेगी तथा पूरे शिविरों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाकर शिविरों की रारीये एवं शिविर प्रभारी तय किये जायेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रार्थना-पत्रों वर्ती तैयारी आपेक्षागत भूमि संबंधित शिविर प्रभारी कर लेवे ताकि शिविरों में अनावश्यक परेशानी न हो। शिविरों में भाग लेने वालों से संबंधित प्रार्थना-पत्र फार्म आदि का मुद्रण जिला स्तर पर करा लिया जावे तथा वह भी सुनिश्चित किया जावे कि अभियान क्षेत्र में कियान्वित की जा रही आज्ञाओं को समुचित प्रचार प्रसार किया जावे। इसके लिये जिला कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रचार प्रसार सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस अभियान में प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जायेगा तथा समय-समर पर इनकी समीक्षा की जाएगी।

शिविरों का प्रचार प्रसार एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग:-शिविर आयोजन करने के लिये स्थान व दिनांक का पूर्व में चयन र निर्धारण कर दिया जावे तथा शिविरों का प्रचार प्रसार उपलब्ध प्रचार माध्यमों से किया जावे। इन शिविरों की पूर्ण जानकारी मानन्य सांसद, विभागीय भूमि, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिपर एवं पंचायत समिति के सदस्यों एवं सरपंचों व वन्य अनुप्रिणिधियों को दी जावे। वह भी अपेक्षा दी जाती है कि उक्त जनप्रतिनिधियों से प्रधान शोध वर्ग समस्याओं के समाधान में सहयोग प्राप्त होगा।

शिविर प्रभारी:-सामान्यतया भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी शिविर प्रभारी नेंगे। तथा किये जा रहे कार्यों का समन्वय शिविर प्रभारी द्वारा किया जायेगा। शिविर गवर्नर/अधिकारी/कर्मचारी शिविर में भाग लेंगे।

(2)